

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8) वित्त/राजस्व/19

जयपुर, दिनांक:- 12 NOV 2020

आज्ञा

निदेशक, कोष एवं लेखा ने अपने पत्र दिनांक 10.09.2020 के द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं सम्पत्ति/संतान संबंधी सूचना से अवगत कराये जाने के कारण, राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष एवं पद रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	लिन. न.	नाम (सर्वश्री)	वर्ग	जन्म तिथि	पदोन्नति वर्ष	पद रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि
1.	4822	अशोक कुमार गोवल	अजा	26.11.66	2018-2019	01.04.2018
2.	1844	नरेन्द्र कुमार नारानीवाल		12.03.61	2019-2020	01.04.2019
3.	1864	राजेन्द्र कुमार महावर	अजा	03.03.67	2019-2020	01.09.2019
4.	5169	शम्भुदयाल मीणा	अजजा	01.06.67	2019-2020	01.12.2019

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं एवं पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
- ✓ 10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव